भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2933
13.08.2026 को उत्तर के लिए

उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन

2933. श्री परिमल नथवानीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खनन, इस्पात और तापीय विद्युत इकाइयों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों की जल गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान इन नदी बेसिनों के किनारे स्थित कितने उद्योग पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए हैं;

(ग) ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या कोई वास्तविक समय आधारित जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली संस्थापित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) देशभर में खनन, इस्पात और ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) से होने वाले प्रदूषण सहित औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अंतर्गत सहमति तंत्र (स्थापना हेतु सहमति और संचालन हेतु सहमति) के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन उद्योगों का विनियमन पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने तथा परियोजना के पश्चात निगरानी के लिए उद्योगों द्वारा छमाही अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से भी किया जाता है।

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, झारखंड में खनन, एकीकृत इस्पात संयंत्रों और ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न औद्योगिक

अपशिष्टों का निर्वहन से पूर्व शोधन किया जाता है तथा एकीकृत इस्पात संयंत्रों और ताप विद्युत संयंत्रों में ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणालियां (ओसीईएमएस) स्थापित की गई हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों की जल गुणवत्ता की मासिक निगरानी की जाती है तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम उपयोग मानदंडों के अनुसार ये नदियां 'सी' श्रेणी में आती हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि उल्लंघन के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दामोदर नदी इस राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है और सुवर्णरेखा नदी के किनारे कोई खनन, इस्पात अथवा ताप विद्युत संयंत्र संचालित नहीं है। वर्ष 2025 के दौरान ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुवर्णरेखा नदी के राजघाट और झारापोखरिया (पंद्रा) में की गई निगरानी के दौरान जल गुणवत्ता के मानदंड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम उपयोग मानदंडों के अनुसार निर्धारित 'सी' श्रेणी के मानकों के भीतर पाए गए।

पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीएसपीसीबी) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों के आसपास तथा इनके क्षेत्र में 363 उद्योग पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। इनमें से 278 उद्योगों के विरुद्ध बैंक गारंटी एवं जुर्माना अधिरोपित करने सहित निर्देश जारी किए गए, जबकि 85 उद्योगों के विरुद्ध बंद करने के आदेश लागू किए गए।

इसके अलावा, स्व-विनियमन को मजबूत करने के लिए, 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों जिनमें टीपीपी और इस्पात उद्योग शामिल हैं, को वास्तविक समय की निगरानी और अलर्ट सिस्टम के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन/अपशिष्ट निगरानी प्रणालियां (ओसीईएमएस) स्थापित करने का आदेश दिया गया है, जो एसपीसीबी/पीसीसी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सर्वर से जुड़ा है। ओसीईएमएस से उत्पन्न चेतावनियों के आधार पर, सीपीसीबी द्वारा चयनित उद्योगों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाता है तथा अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई शुरू की जाती है।

सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2017 से गंगा नदी की मुख्य धारा वाले राज्यों में संचालित जीपीआई, जिनसे गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों (जिसमें दामोदर नदी शामिल है तथा सुवर्णरेखा नदी शामिल नहीं है) में प्रदूषकों के प्रवाहित होने की संभावना है, का तकनीकी संस्थानों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा तृतीय-पक्ष वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2025 के दौरान, दामोदर नदी बेसिन वाले राज्यों में संचालित कुल 16 जीपीआई का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 13 जीपीआई संचालनरत पाए गए। संचालनरत जीपीआई में से 09 अनुपालनरत तथा 04 गैर-अनुपालनरत पाए गए और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 03 जीपीआई द्वारा स्वयं संचालन बंद कर दिया गया। दामोदर नदी बेसिन वाले राज्यों में वर्ष 2020-2025 के दौरान संचालित जीपीआई की दिनांक 03.07.2026 तक की अनुपालना स्थिति अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, सीपीसीबी ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर 40 वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी (आरटीडब्ल्यूक्यूएम) स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। 40 वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 20 स्टेशन गंगा नदी पर तथा 20 स्टेशन इसकी सहायक नदियों पर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 03 स्टेशन दामोदर नदी पर हैं। इनमें से 01 स्टेशन झारखंड के धनबाद जिले में तथा शेष 02 स्टेशन पश्चिम बंगाल के बर्धमान और रामगढ़ जिलों में स्थित हैं।

अनुलग्नक-**I**

वर्ष 2020-2025 के दौरान दामोदर नदी में जीपीआई की अनुपालना स्थिति (निरीक्षण के समय)

वर्ष	जीपीआई की सं.	संचालनरत	अनुपालन	गैर-अनुपालन		स्वयं बंद कर दिया	
				एससीएन	समापन	अस्थायी रूप से बंद	स्थायी रूप से बंद
2020	14	13	9	4	0	1	0
2022	12	12	8	4	0	0	0
2023	12	12	9	3	0	0	0
2024	13	10	6	4	0	3	0
2025	16	13	9	4	0	3	0

एससीएन-कारण बताओ नोटिस
